रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072022-236926
CG-DL-E-01072022-236926

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 466]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2022/ आषाढ़ 9, 1944
No. 466]	NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2022/ASHADHA 9, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

सं. 02/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी.)

सा.का.नि. 490(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017, का संशोधन करने के लिए निम्न लिखित नियम बनाती है, यथा: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभन –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2022 है ।

(2) ये 1 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होंगे ।

2. उक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 18 में, स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परन्तुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"परन्तु इन नियमो में अंतर्विष्ट कोई भी बात *मोटर स्प्रिट, जिसे सामान्यतया पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, हाई स्पीड डीज़ल ऑयल और एविएशन ट्रबाईन फ्यूल* पर लागू नहीं होगी ।"

3. उक्त नियम में, नियम 19 में, निम्नलिखित परन्तुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"परन्तु इन नियमो में अंतर्विष्ट कोई भी बात *मोटर स्प्रिट, जिसे सामान्यतया पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, हाई स्पीड डीज़ल ऑयल और एविएशन ट्रबाईन फ्यूल* पर लागू नहीं होगी ।"

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

No. 02/2022-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 490(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Excise Rules, 2017, namely: -

1. Short title and commencement. -

(1) These rules may be called the Central Excise (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the 1st day of July, 2022.

2. In the Central Excise Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said Rules), in rule 18, before the explanation the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that nothing contained in this rule shall apply to *Motor spirit, commonly known as petrol, High-speed diesel oil and Aviation Turbine Fuel."*

3. In the said Rules, in rule 19, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that nothing contained in this rule shall apply to Motor spirit, commonly known as petrol, High-speed diesel oil and Aviation Turbine Fuel."

[F. No. 354/15/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

सं. 03/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 491(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 05/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 06 जुलाई, 2019, जिसे सं सा.का.नि. 488 (अ), तारीख 06 जुलाई, 2019 में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई भी बात निर्यात के लिए क्लीयर किए गए मालो पर लागू नहीं होगी।"

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 05/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 06 जुलाई, 2019 को सा.का.नि. 488 (अ), तारीख 06 जुलाई, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2021–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 84 (अ) तारीख 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

No. 03/2022-Central Excise

G.S.R. 491(E).—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 05/2019-Central Excise, dated the 6th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i), *vide* number G.S.R.488(E), dated the 6th July, 2019, namely:-

In the said notification, after the Table, the following shall be inserted, namely: -

"2. Nothing contained in this notification shall apply to the goods cleared for export."

2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2022.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No. 05/2019- Central Excise dated the 6th July, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 488(E), dated the 6th July, 2019, and was last amended by notification No. 02/2021- Central Excise dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 84(E), dated the 1st February, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

सं. 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 492(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (एतश्मिन पश्चात जिसे उत्पाद शुल्क अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट है और जो कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय, शीर्ष या उप शीर्ष या टैरिफ मद के क भीतर आने वाले उत्पाद शुल्क योग्य माल को, वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 147 के अधीन उस पर उद्ग्रहीत विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करती है जितना वह उक्त सारणी के स्तम्भ (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से परिकलित रक्कम से अधिक है ।

क्र.सं.	**अध्याय या शीर्ष या उप शीर्ष या टैरिफ मद**	**माल का विवरण**	**दर**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	2710	मोटर स्प्रिट, सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है	5 रुपया प्रति लीटर
2.	2710	हाई स्पीड डीज़ल ऑयल	12 रुपया प्रति लीटर

2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात निर्यात के लिए क्लीयर किए गए माल से भिन्न अन्य किसी माल पर प्रवृत्त नहीं होगी ।

3. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

No. 04/2022-Central Excise

G.S.R. 492(E).—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the excisable goods of the description specified in Column (3) of the Table below and falling within the Chapter, heading or sub-heading or tariff item of the Fourth Schedule to the said Excise Act, as specified in the corresponding entry in Column (2) of the said Table, from so much of the Special Additional Excise Duty leviable thereon under section 147 read with the Eighth Schedule to the Finance Act, 2002, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in Column (4) of the said Table, namely: -

TABLE

S. No.	Chapter or heading or subheading or tariff item	Description of goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2710	Motor spirit, commonly known as petrol	Rs. 5 per litre
2.	2710	High speed diesel oil	Rs. 12 per litre

2. Nothing contained in this notification shall apply to any goods other than the goods cleared for export.

3. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2022.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

सं. 05/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 493(अ).—केंद्रीय सरकार को इस बात का समाधान हो जाता है कि कच्चे पेट्रोलियम और एविएशन ट्रबाईन फ्यूल, जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के क्रमश: शीर्ष 2709 और 2710 के अधीन आते हैं पर वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाना चाहिए और इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान हैं कि इसके लिए तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है ।

अत: अब केंद्रीय सरकार वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के अनुसरण में यह निर्देश देती है कि वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित रीती से संशोधन किया जाएगा, यथा:-

वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में, मद संख्या 2 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)
“3.	कच्चा पेट्रोलियम	23250 रुपए प्रति टन;
4.	एविएशन ट्रबाईन फ्यूल	6 रुपए प्रति लीटर”

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

No. 05/2022-Central Excise

G.S.R. 493(E).—WHEREAS, the Central Government is satisfied that the Special Additional Excise Duty be levied under section 147 of the Finance Act, 2002 (No. 20 of 2002) on Petroleum crude, and Aviation Turbine Fuel falling under heading 2709 and 2710 respectively of the Fourth Schedule to the Central Excise Act 1944 (1 of 1944), and that circumstances exist which render it necessary to take immediate action.

NOW, therefore, in pursuance of section 147 of the Finance Act, 2002, the Central Government, hereby directs that the Eighth Schedule to the said Finance Act, 2002, shall be amended in the following manner, namely: -

In the Eighth Schedule to the Finance Act, 2002, after Item No. 2 and the entries relating thereto, the following Item S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	**(2)**	**(3)**
"3.	Petroleum crude	Rs. 23250 per tonne
4.	Aviation Turbine Fuel	Rs. 6 per Litre"

2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2022.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

सं. 06/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 494(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, कच्चे पेट्रोलियम, जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के शीर्षक 2709 के अंतर्गत आता है और जिसका उत्पादन ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया हो जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में वार्षिक उत्पादन दो मीलियन बैरल से कम था, को उस पर उक्त वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 147 के अधीन उद्ग्रहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

No. 06/2022-Central Excise

G.S.R. 494(E).—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the crude petroleum, falling under heading 2709 of the of the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 (herein after referred to as "the said goods" produced by a person whose annual production of the said goods during the preceding Financial Year was less than two million barrel, from the whole of the Special Additional Excise Duty leviable thereon under section 147 read with the Eighth Schedule to the said Finance Act, 2002.

2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2022.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

सं. 07/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 495(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के शीर्षक 2709 के अधीन आने वाले कच्चे पेट्रोलियम जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए अपने कच्चे पेट्रोलियम उत्पादन से अधिक है, को, उस पर उक्त वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 147 के अधीन उस पर उद्गृहीत विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट देती है ।

स्पष्टीकरण : वित्तीय वर्ष, 2022-23 के लिए, विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ऐसे परिमाप पर लागू नहीं होगा जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए अपने कच्चे पेट्रोलियम उत्पादन को पार करने के तुरंत पश्चात् उत्पादित किया जाता है ।

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

No. 07/2022-Central Excise

G.S.R. 495(E).—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the crude petroleum, falling under heading 2709 of the of the Fourth Schedule to the Central Excise Act 1944, produced by a person which is in excess of crude petroleum oil produced by such person during the preceding Financial Year, from the whole of the Special Additional Excise Duty leviable thereon under section 147 read with the Eighth Schedule to the said Finance Act, 2002.

Explanation: For the Financial year, 2022-23, the Special Additional Excise Duty shall not apply to such quantity that is produced by a person immediately after exceeding his production of crude petroleum oil during the Financial Year 2021-22.

2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2022.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

सं. 08/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 496(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 और वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात का समाधान होने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, उन वस्तुओं को जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, को उस समय जब उनको निर्यात के लिए क्लीयर कर दिया गया हो, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट शुल्कों से पूरी तरह छूट प्रदान करती है।

सारणी

क्रम संख्या	मद का विवरण	विनिर्दिष्ट शुल्क
(1)	(2)	(3)
1.	(i) मोटर स्प्रिट, सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है। (ii) हाई स्पीड डीज़ल	(i) मूल उत्पाद शुल्क (ii) कृषि अवसंरचना विकास उपकर
2.	एविएशन ट्रबाईन फ्यूल	मूल उत्पाद शुल्क

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, -

(i) "निर्यात", अपनी व्याकरणिक रूपभेद और सजातीय पद सहित, से माल को भारत के किसी स्थान से भारत के बाहर किसी स्थान पर ले जाना अभिप्रेतहै ;

(ii) मूल उत्पाद शुल्क से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन लगाए जाने वाला शुल्क अभिप्रेत है।

(iii) कृषि अवसंरचना विकास उपकर से वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 3) की धारा 125 के अधीन लगाए जाने वाला उपकर अभिप्रेत है।

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

No. 08/2022-Central Excise

G.S.R. 496(E).—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 112 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018) and section 125 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of description falling under Column (2) of the Table below from the whole of duties in Column (3) of the said Table when such goods are cleared for exports.

TABLE

S. No.	Description of Item	The Specified Duty
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	(i) Motor Spirit commonly known as Petrol (ii) High Speed Diesel	(i) Basic Excise Duty (ii) Agricultural Infrastructure Development Cess
2.	Aviation Turbine Fuel	Basic Excise Duty

Explanation: For the purpose of this notification, -

(i) "Agricultural Infrastructure Development Cess" means the cess levied under section 125 of the Finance Act, 2021 (3 of 2021);

(ii) "Basic Excise Duty" means the duty levied under Section 3 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944);

(iii) "Export", with its grammatical variations and cognate expressions, means taking goods out of India to a place outside India;

2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2022.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

सं. 09/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 497(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के शीर्षक 2710 के अंतर्गत आता है को धारा 147 के अधीन उद्ग्रहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट देती है ।

2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई भी बात निर्यात के लिए क्लीयर किए गए मालो पर लागू नहीं होगी ।

3. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

No. 09/2022-Central Excise

G.S.R. 497(E).—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Aviation Turbine Fuel, falling under the Heading 2710 of the Fourth Schedule of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) from the whole of the Special Additional Excise Duty leviable thereon under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002).

2. Nothing contained in this notification shall apply to the goods cleared for export.

3. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2022.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

सं. 10/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 498(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात का समाधान होने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, , नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट है और जो कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय, शीर्ष या उप शीर्ष या टैरिफ मद के क भीतर आने वाले उत्पाद शुल्क योग्य माल को, वित्त अधिनियम, 2018 की छठी अनुसूची के साथ पठित धारा 112 के अधीन उस पर उद्ग्रहीत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करती है जितना वह उक्त सारणी के स्तम्भ (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से परिकलित रक्कम से अधिक है ।

सारणी

क्र.सं.	अध्याय या शीर्ष या उप शीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2710	मोटर स्प्रिट, सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है	1 रुपया प्रति लीटर
2.	2710	हाई स्पीड डीज़ल ऑयल	1 रुपया प्रति लीटर

2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात निर्यात के लिए क्लीयर किए गए माल से भिन्न अन्य किसी माल पर प्रवृत्त नहीं होगी ।

3. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

No. 10/2022-Central Excise

G.S.R. 498(E).—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 112 of Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the excisable goods of the description specified in column (3) of the Table below and falling within the Chapter, heading or sub-heading or tariff item of the Fourth Schedule to the said Excise Act, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the additional duty of excise leviable thereon under section 112, read with the Sixth Schedule to the said Finance Act, 2018, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely: -

TABLE

S.No.	Chapter or heading or subheading or tariff item	Description of goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2710	Motor spirit, commonly known as petrol	Re. 1 per litre
2.	2710	High speed diesel oil	Re. 1 per litre

2. Nothing contained in this notification shall apply to any goods other than the goods cleared for export.

3. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2022.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

सं. 11/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 499(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 04/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 06 जुलाई, 2019, जिसे सं सा.का.नि. 487 (अ), तारीख 06 जुलाई, 2019 में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई भी बात निर्यात के लिए क्लीयर किए गए मालो पर लागू नहीं होगी ।"

3. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 04/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 06 जुलाई, 2019 को सा.का.नि. 487 (अ), तारीख 06 जुलाई, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 25/2022–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 21 मई, 2022, जिसे सा.का.नि. 376 (अ) तारीख 21 मई, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

No. 11/2022-Central Excise

G.S.R. 499(E).—In exercise of the powers conferred by section 112 of Finance Act, 2018 (13 of 2018), read with section 5A of the Central Excise Act,1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the Excise Act), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 04/2019-Central Excise, dated the 6th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i), *vide* number G.S.R.487(E), dated the 6th July, 2019, namely:-

In the said notification, after the Table, the following shall be inserted, namely: -

"2. Nothing contained in this notification shall apply to the goods cleared for export."

3. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2022.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No. 04/2019- Central Excise dated the 6th July, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 487(E), dated the 6th July, 2019, and was last amended by notification No. 25/2022- Central Excise dated the 21st May, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 376(E), dated the 21st May, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

सं. 32/2022-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 500(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में आवश्यक है, एतद्द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट विवरण और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्षक के अंतर्गत आने वाले माल को छूट देता है, जैसा कि कॉलम (2) में निर्दिष्ट है, जब आयात किया जाता है भारत, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण अतिरिक्त सीमा शुल्क से, जैसा कि वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के तहत उस पर लगाए जाने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के बराबर है –

सारणी

क्र.सं.	**शीर्ष**	**माल का विवरण**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	2709	पेट्रोलियम, क्रूड
2.	2710	एविएशन टरबाइन फ्यूल

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

No. 32/2022-Customs

G.S.R. 500(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (3) of the Table below and falling within the Heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as specified in column (2), when imported into India, from whole of the additional duty of Customs leviable thereon under sub-section (1) of section 3 of the said Customs Tariff Act, as is equivalent to the Special Additional Excise Duty leviable thereon under section 147 of the Finance Act, 2002:

Table

S. No.	Heading	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	2709	Petroleum, Crude
2.	2710	Aviation Turbine Fuel

2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2022.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.07.01 02:52:21 +05'30'